



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 777]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2015/अग्रहायण 20, 1937

No. 777]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2015/ AGRAHAYANA 20, 1937

वस्त्र मंत्रालय

(केन्द्रीय रेशम बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (प्रशासनिक लेखा व सामान्य संवर्ग पद), भर्ती नियम, 2015

सा.का.नि. 963 (अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा-13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय रेशम बोर्ड (समेकित), भर्ती नियम, 1989 को, जहाँ तक उनका संबंध मुख्य लेखा अधिकारी और लेखा-परीक्षा अधिकारी, उप सचिव (प्रशासन), उप निदेशक (प्रचार), उप सचिव (लागत), सहायक निदेशक (सांख्यिकी), लेखा और लेखा-परीक्षा अधिकारी, सहायक सचिव (प्रशासन), संपादक, ज्येष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष, हिन्दी अधिकारी, अधीक्षक, अधीक्षक (प्रचार), ज्येष्ठ सांख्यिकी, सांख्यिकी, सहायक अधीक्षक, रिपोर्टर, सहायक अधीक्षक (प्रचार), पुस्तकालयाध्यक्ष, ज्येष्ठ अनुवादक (हिन्दी), सहायक, पुस्तकालय सहायक, आशुलिपिक, प्रचार सहायक, सांख्यिकी सहायक, कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी), ज्येष्ठ कलाकार या ज्येष्ठ फोटोग्राफर, ज्येष्ठ मैकेनिक, बस या ट्रक ड्राइवर, उच्च श्रेणी लिपिक, कनिष्ठ आशुलिपिक, कलाकार या फोटोग्राफर, अवर श्रेणी लिपिक, ड्राइवर, तकनीशियन, रसोइया, सहायक तकनीशियन, मददगार (हेल्पर), परिचारक (एटेंडर), चौकीदार और सफाईवाला के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड में प्रशासनिक, लेखा और साधारण काडर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रेशम बोर्ड (प्रशासनिक, लेखा और साधारण काडर पद), भर्ती नियम 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. लागू होना- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ-1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतन मान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 से स्तम्भ-4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-5 से स्तम्भ-13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष संवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	2* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 7600 `	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	यदि सीधी भर्ती के लिए चयन समिति है तो उसकी संरचना
11	12	13
प्रोन्नति: ऐसे उप-निदेशक (प्रशासन और लेखा) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो,	1. सदस्य-सचिव - अध्यक्ष केन्द्रीय रेशम बोर्ड 2. संयुक्त सचिव या - सदस्य निदेशक या उप सचिव, वस्त्र मंत्रालय 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से - सदस्य एक निदेशक	लागू नहीं होता।

न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,-

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 6600 ` या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

1	2	3	4	5	6
2. संयुक्त निदेशक (वित्त)	1* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 7600 `	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे उप-निदेशक (वित्त) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 6600 ` या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>1. सदस्य-सचिव - अध्यक्ष केन्द्रीय रेशम बोर्ड</p> <p>2. संयुक्त सचिव या - सदस्य निदेशक या उप सचिव, वस्त्र मंत्रालय</p> <p>3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से - सदस्य एक निदेशक</p>	लागू नहीं होता।

<p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	
--	--

1	2	3	4	5	6
3. संयुक्त निदेशक (प्रचार)	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, गैर-अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 7600 `	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे उप-निदेशक (प्रचार) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. सदस्य-सचिव - अध्यक्ष केन्द्रीय रेशम बोर्ड 2. संयुक्त सचिव या - सदस्य निदेशक या उप सचिव, वस्त्र मंत्रालय 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से - सदस्य एक निदेशक 	लागू नहीं होता।

<p>ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 6600 ` या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
--	--	--

1	2	3	4	5	6
4. संयुक्त निदेशक (उद्यम संवर्धन कक्ष)	1` (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, गैर- अनुसूचित	वेतन बैंड-3 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 7600 `	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा

					चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	--

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री और जिसके पास किसी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में विपणन या वस्त्र या उद्यम विकास में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. सदस्य-सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड - अध्यक्ष 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय का एक आचार्य - सदस्य 3. वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव या निदेशक या उप सचिव - सदस्य 4. भारतीय प्रबन्ध संस्थान से सुसंगत विषय का एक आचार्य - सदस्य

1	2	3	4	5	6
5. उप निदेशक (प्रशासन और लेखा)	10* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 ` +ग्रेड वेतन 6600 `	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
प्रोन्नति : ऐसे सहायक निदेशक (वित्त और लेखा) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या	5. सदस्य-सचिव केन्द्रीय रेशम बोर्ड -अध्यक्ष 1. संयुक्त सचिव या निदेशक या उप सचिव, वस्त्र मंत्रालय - सदस्य 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक - सदस्य	लागू नहीं होता।

पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,-

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं;

या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 5400 ` या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ

यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		
--	--	--

1	2	3	4	5	6
6. उप निदेशक (वित्त)	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 6600 `	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान की सदस्यता रखता हो और जिसके पास किसी सरकारी विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा किसी उच्चतर कोटि के रजिस्ट्रीकृत कंपनी के वित्त में न्यूनतम पाँच वर्ष का पञ्च अर्हता अनुभव हो। वांछनीय : जिनके पास कंप्यूटरीकृत लेखा का ज्ञान हो। टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. सदस्य-सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड – अध्यक्ष 2. महालेखाकार के कार्यालय से एक उप महालेखाकार – सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, वस्त्र मंत्रालय – सदस्य 4. भारतीय प्रबन्ध संस्थान या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय का एक आचार्य – सदस्य

1	2	3	4	5	6
7. उप निदेशक (प्रचार)	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, गैर-अनुसूचित	वेतन बैंड-3 15600-39100 ` ` +ग्रेड वेतन 6600 ` `	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे सहायक निदेशक (प्रचार) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	1. सदस्य-सचिव केन्द्रीय रेशम बोर्ड – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव या निदेशक या उप सचिव, वस्त्र मंत्रालय – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – सदस्य	लागू नहीं होता

<p>प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 5400 ` या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	
---	--

1	2	3	4	5	6
8. उप निदेशक (राजभाषा)	2* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, गैर-अनुसन्धीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 6600 `	चयन	लागू नहीं होता।

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे सहायक निदेशक (राजभाषा) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा</p>	<p>1. सदस्य-सचिव केन्द्रीय रेशम बोर्ड – अध्यक्ष</p> <p>2. संयुक्त सचिव या निदेशक या उप सचिव,</p>	लागू नहीं होता

<p>परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 5400 ` या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>वस्त्र मंत्रालय – सदस्य</p> <p>3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – सदस्य</p>	
---	--	--

1	2	3	4	5	6
9. पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	1* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, गैर-अनुसूचित	वेतन बैंड-3 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 6600 `	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 5400 ` या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित</p>	<p>1. सदस्य-सचिव केन्द्रीय रेशम बोर्ड - अध्यक्ष</p> <p>2. संयुक्त सचिव या निदेशक या उप सचिव, वस्त्र मंत्रालय - सदस्य</p> <p>3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक - सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

<p>सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	
---	--

1	2	3	4	5	6
10. उप निदेशक (सांख्यिकी)	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, गैर-अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 6600 `	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे सहायक निदेशक (सांख्यिकी) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने</p>	<p>1. सदस्य-सचिव केन्द्रीय रेशम बोर्ड – अध्यक्ष</p> <p>2. संयुक्त सचिव या निदेशक या उप सचिव, वस्त्र मंत्रालय – सदस्य</p> <p>3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,-

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3; 15600-39100 ` + ग्रेड वेतन 5400 ` या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन सहित एक श्रेणी विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

1	2	3	4	5	6
11. सहायक निदेशक (प्रशासन और	37* (2015) *कार्यभार के आधार	समूह-क, अनुसन्धिवीय	वेतन बैंड -3 15600-39100 ` +ग्रेड वेतन 5400 `	चयन (सीधे भर्ती किए जाने वाले	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों

लेखा)	पर परिवर्तन किया जा सकता है।			व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होता)	के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
-------	------------------------------	--	--	-----------------------------------	---

7	8	9	10
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से प्रारंभिक परीक्षा-1 सहित चार्टर्ड एकाउंटेंसी के साथ वित्त में एक वर्ष का अनुभव या वाणिज्य में मास्टर डिग्री के साथ सरकारी विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या रजिस्ट्रीकृत कंपनियों में लेखा और वित्त का पाँच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	अस्सी प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और बीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
प्रोन्नति : ऐसे अधीक्षक (प्रशासन) में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक- सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष 2. उप सचिव या अवर सचिव, वस्त्र मंत्रालय – सदस्य 3. महालेखाकार के कार्यालय से एक उप महालेखाकार – सदस्य

<p>अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
--	--	--

1	2	3	4	5	6
12. सहायक निदेशक (प्रचार)	2* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, गैर-अनुसचिवीय	वेतन बैंड -3 15600-39100 ` +ग्रेड वेतन 5400 `	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे अधीक्षक (प्रचार) में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय</p>	<ol style="list-style-type: none"> केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर के एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य 	लागू नहीं होता

उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		
--	--	--

1	2	3	4	5	6
13. सहायक निदेशक (राजभाषा)	6* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, गैर-अनुसचिवीय	वेतन बैंड -3 15600-39100 ` +ग्रेड वेतन 5400 `	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे ज्येष्ठ अनुवादक (हिन्दी) में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन मान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतन मान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन मान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतन मान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष</p> <p>2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य</p> <p>3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य</p>	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
14. सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	9* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, गैर-अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 ` +ग्रेड वेतन 5400 `	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे ज्येष्ठ सांख्यिकी में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष</p> <p>2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य</p> <p>3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य</p>	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6
15. सहायक निदेशक (रेशम उत्पादन प्रबन्ध)	1* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, गैर-अनुसचिवीय	वेतन बैंड -3 15600-39100 ` +ग्रेड वेतन 5400 `	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई

					अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
--	--	--	--	--	--

* इस पद पर आसन्न पदधारी के पद या सेवा छोड़ने की तारीख से यह पद समाप्त हो जाता है।

7	8	9	10
<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्था में अध्यापन का पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	<p>1. केंद्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष</p> <p>2. उप सचिव या अवर सचिव, वस्त्र मंत्रालय – सदस्य</p> <p>3. भारतीय प्रबन्ध संस्थान या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय का एक आचार्य – सदस्य</p>

1	2	3	4	5	6
16. छात्रावास प्रबन्धक	<p>1* (2015)</p> <p>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जाता है।</p>	समूह-क, गैर-अनुसूचित	<p>वेतन बैंड -3</p> <p>15600-39100 ` +ग्रेड</p> <p>वेतन 5400 `</p>	लागू नहीं होता	<p>35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण :</p> <p>आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई</p>

					अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
--	--	--	--	--	--

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या कला या वाणिज्य में बैचलर डिग्री के साथ खानपान और होटल प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित पंजीकृत होटल या छात्रावास प्रबंध में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष 2. उप सचिव या अवर सचिव, वस्त्र मंत्रालय – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक उप निदेशक – सदस्य

1	2	3	4	5	6
17. अधीक्षक (प्रशासन)	54* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ख, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 `+ ग्रेड वेतन 4600 `	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
प्रोन्नति : ऐसे सहायक अधीक्षक (प्रशासन) और आशुलिपिक श्रेणी-1 में से जिन्होंने सम्मिलित ज्येष्ठता के आधार पर उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा संचालित पर्यवेक्षी स्तर का विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किया हो (अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतीस प्रतिशत	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या	लागू नहीं होता।

<p>अंक)।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य</p>	
---	--	--

1 18. अधीक्षक (प्रचार)	2 2* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	3 समूह-ख, गैर-अनुसूचित	4 वेतन बैंड-2 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600	5 अचयन	6 लागू नहीं होता
------------------------------	---	------------------------------	---	-----------	---------------------

7 लागू नहीं होता	8 लागू नहीं होता	9 लागू नहीं होता	10 प्रोन्नति द्वारा
---------------------	---------------------	---------------------	------------------------

<p>11</p> <p>प्रोन्नति : ऐसे सहायक अधीक्षक (प्रचार) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>12</p> <p>1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य</p>	<p>13 लागू नहीं होता।</p>
--	---	-------------------------------

<p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
--	--	--

1	2	3	4	5	6
19. ज्येष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ख, गैर-अनुसूचित्वीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600`	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए</p>	<ol style="list-style-type: none"> केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य 	लागू नहीं।

ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		
---	--	--

1	2	3	4	5	6
20. सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	1* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ख, गैर-अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 ` + ग्रेड वेतन 4600 `	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे पुस्तकालय और सूचना सहायक में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि</p>	<p>1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष</p> <p>2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य</p> <p>3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य</p>	लागू नहीं।

<p>उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
--	--	--

1	2	3	4	5	6
21. ज्येष्ठ सांख्यिक	1* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ख, गैर-अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 ` + ग्रेड वेतन 4600 `	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे सांख्यिक में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष</p> <p>2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य</p> <p>3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य</p>	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6
22. सहायक अधीक्षक (प्रशासन)	235* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ख, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 ` + ग्रेड वेतन 4200 `	अचयन (सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होता)	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

					(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
--	--	--	--	--	--

7	8	9	10
<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या किसी सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या रजिस्ट्रीकृत कंपनी में लेखा या प्रशासन में पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक में से जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया</p>	<ol style="list-style-type: none"> केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक - अध्यक्ष केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक - सदस्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) - सदस्य 	<ol style="list-style-type: none"> केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक - अध्यक्ष केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक - सदस्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक - सदस्य

<p>गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
--	--	--

1	2	3	4	5	6
23. आशुलिपिक श्रेणी-1	33* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ख, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 ` +ग्रेड वेतन 4200 `	अचयन (सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होता)	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री और किसी सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या रजिस्ट्रीकृत कंपनी में पाँच वर्ष का अनुभव। (ii) कौशल परीक्षण मान : श्रुतलेखन : एक सौ बीस शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

<p>अनुलिपिकरण (कम्प्यूटर पर) :</p> <p>पचहत्तर मिनट (अँग्रेजी)</p> <p>पचानबे मिनट (हिन्दी)</p> <p>(iii) कौशल परीक्षण केवल कम्प्यूटर पर लिया जाएगा।</p> <p>टिप्पण :</p> <p>विशिष्ट भाषा (अर्थात् अँग्रेजी या हिन्दी) जिसमें कौशल परीक्षण लिया जाएगा, को प्रत्येक समय रिक्ति अधिसूचित करते समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>			
--	--	--	--

11	12	13
<p>प्रोन्नति :</p> <p>ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-II में से जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का सिफारिशों आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या</p>	<ol style="list-style-type: none"> केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक - अध्यक्ष केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक - सदस्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) - सदस्य 	<ol style="list-style-type: none"> केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक - अध्यक्ष केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक - सदस्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक - सदस्य

1	2	3	4	5	6
24. सहायक अधीक्षक (प्रचार)	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ख, गैर-अनुसूचित	वेतन बैंड-2 9300-34800 ` + ग्रेड वेतन 4200 `	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में बैचलर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री सहित किसी मान्यताप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा। वांछनीय : (i) किसी सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या रजिस्ट्रीकृत कंपनी में लेख लेखन या प्रकाशन या मुद्रण या फ्रूफ रीडिंग या संपादन में दो वर्ष का अनुभव। (ii) कम्प्यूटर का ज्ञान। टिप्पण : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक – सदस्य

1	2	3	4	5	6
25. कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	10* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ख गैर-अनुसूचित वर्ग	वेतन बैंड-2 9300-34800 ` + ग्रेड वेतन 4200 `	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अँग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अँग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अँग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अँग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अँग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में अँग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

<p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अँग्रेजी विषय से भिन्न किसी भी विषय से मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी और अँग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो;</p> <p>और</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से अँग्रेजी से हिन्दी और विपर्ययेन अनुवाद का डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वशासी निकाय में अँग्रेजी से हिन्दी और विपर्ययेन अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>			
---	--	--	--

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक – सदस्य

1	2	3	4	5	6
26. पुस्तकालय और सूचना सहायक	5* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ख, गैर-अनुसूचित	वेतन बैंड-2 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4200`	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री।</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव।</p> <p>वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक – सदस्य

1	2	3	4	5	6
27. सांख्यिक	5* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ख, गैर-अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4200`	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे सांख्यिकीय सहायक में से जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और</p>	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य	लागू नहीं होता

<p>उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

1	2	3	4	5	6
28. *ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक (सामाजिक विज्ञान)	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ख, गैर-अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 ` + ग्रेड वेतन 4200 `	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

* पद पर आसन्न पदधारी के पद या सेवा छोड़ने की तारीख से यह पद समाप्त हो जाता है।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान में मास्टर डिग्री। टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			
--	--	--	--

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अच्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक – सदस्य

1	2	3	4	5	6
29. कनिष्ठ इंजीनियर	26* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ख, गैर-अनुसूचित	वेतन बैंड-2 9300-34800 ` + ग्रेड वेतन 4200 `	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मेकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या रेफ्रिजेशन या सनिटरी इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा। टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक – सदस्य

1	2	3	4	5	6
30. ज्येष्ठ कलाकार	4* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ख, गैर-अनुसूचित	वेतन बैंड-2 9300-34800 `+ ग्रेड वेतन 4200 `	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनुप्रयुक्त ललित कला या वाणिज्यिक कला में बैचलर डिग्री (न्यूनतम तीन वर्ष का पाठ्यक्रम)। वांछनीय : 1. कोरल ड्रा, एडोब पेजमेकर, फोटो शॉप, आदि जैसे प्रकाशन विन्यास सॉफ्टवेयर का व्यावहारिक ज्ञान। 2. मुद्रण और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, कम्प्यूटर से सहायता प्राप्त विन्यास, चित्र और ग्राफिक्स, विज्ञापन तथा फोटोग्राफी का ज्ञान। 3. अनुभव : वाणिज्यिक विन्यास, ग्राफिक विन्यास और ले-आउट बनाने के क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत प्रकाशन गृह या विज्ञापन अभिकरण में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		
11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक – सदस्य

1	2	3	4	5	6
31. स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	11* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ख, गैर-अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4200`	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर्स (ग्रेड-1) में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य	लागू नहीं होता।

32. सांख्यिकी सहायक	2* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ग, गैर- अनुसूचित	वेतन बैंड-1 5200-20200 ` + ग्रेड वेतन 2800 `	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए यदि सामान्य उम्मीदवार हों, तो 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार हों, तो 45 वर्ष तक की छूट देय है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
---------------------	--	-----------------------------	--	----------------	--

7	8	9	10
<p>आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में बैचलर डिग्री।</p> <p>वांछनीय : कम्प्यूटरीकृत सांख्यिकी अनुप्रयोग में कार्य साधक ज्ञान।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
----	----	----

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक – सदस्य
----------------	----------------	---

1	2	3	4	5	6
33. कर्मचारी कार चालक (श्रेणी-1)	88* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ग, गैर-अनुसूचित	वेतन बैंड-1 5200-20200 ` + ग्रेड वेतन 2800 `	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) में से जिन्होंने इस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) तथा स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) में 15 वर्ष की संजोयित सेवा सहित तथा सरकार द्वारा निर्धारित ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण हुआ में से।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
34. उच्च श्रेणी लिपिक	234* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ग, अनुसूचित्वीय	वेतन समूह-1 5200-20200 ` + ग्रेड वेतन 2400 `	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए यदि सामान्य उम्मीदवार हों, तो 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार हों, तो 45 वर्ष तक की छूट देय है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री सहित अँग्रेजी टंकण में पैंतीस शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में तीस शब्द प्रति मिनट की गति (प्रत्येक शब्द के लिए पाँच की डिप्रेशन के औसत पर दस हज़ार पाँच सौ की डिप्रेशन प्रति घंटा या नौ हज़ार की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप पैंतीस शब्द और तीस शब्द प्रति मिनट)। (अनुज्ञात समय – दस मिनट) टिप्पण : (क) टंकण परीक्षण केवल कम्प्यूटर पर लिया जाएगा। (ख) विशिष्ट भाषा (अर्थात् अँग्रेजी या हिन्दी) जिसमें टंकण परीक्षण लिया जाएगा, को प्रत्येक समय रिक्ति को अधिसूचित करते समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा। टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबन्धी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			
--	--	--	--

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक – सदस्य

1	2	3	4	5	6
35. आशुलिपिक श्रेणी-II	21* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ग, अनुसचिवीय	वेतन समूह-1 5200-20200 ` + ग्रेड वेतन 2400 `	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए यदि सामान्य उम्मीदवार हों, तो 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार हों, तो 45 वर्ष तक की छूट देय है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (त कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री। (ii) कौशल परीक्षण मानः श्रुतलेखन : अस्सी शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट अनुलिपीकरण (कम्प्यूटर पर): पचास मिनट (अँग्रेजी) पैंसठ मिनट (हिन्दी) (iii) केवल कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षण लिया जाएगा। टिप्पण : विशिष्ट भाषा अर्थात् अँग्रेजी या हिन्दी जिसमें कौशल परीक्षण लिया जाएगा, प्रत्येक समय रिक्ति को अधिसूचित करते समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा। टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।					
11	12	13			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक – सदस्य			

1	2	3	4	5	6
36. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)	75* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ग, गैर-अनुसूचित	वेतन बैंड-1 5200-20200 ` + ग्रेड वेतन 2400 `	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ कार (सामान्य श्रेणी) में से जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान</p>	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य	लागू नहीं होता।

बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		
---	--	--

1	2	3	4	5	6
37. अवर श्रेणी लिपिक	68* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ग, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1900	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए यदि सामान्य उम्मीदवार हों, तो 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार हों, तो 45 वर्ष तक की छूट देय है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण सहित अँग्रेजी टंकण में पैंतीस शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में तीस शब्द प्रति मिनट की गति (प्रत्येक शब्द के लिए पाँच की डिप्रेशन के औसत पर दस हज़ार पाँच सौ की डिप्रेशन प्रति घंटा या नौ हज़ार की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप पैंतीस शब्द और तीस शब्द प्रति मिनट)। (अनुज्ञात समय-दस मिनट) टिप्पण : (क) टंकण परीक्षण केवल कम्प्यूटर पर लिया जाएगा। (ख) विशिष्ट भाषा (अर्थात् अँगरेजी या हिन्दी) जिसमें टंकण परीक्षण लिया जाएगा, को प्रत्येक समय रिक्ति को अधिसूचना के समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा। टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			
--	--	--	--

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक – सदस्य

1	2	3	4	5	6
38. स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	46* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ग, गैर-अनुसूचित वीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1900`	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए यदि सामान्य उम्मीदवार हों, तो 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार हों, तो 45 वर्ष तक की छूट देय है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
आवश्यक : (i) मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति;	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

<p>(ii) मोटर कल-पुरजे का ज्ञान (अभ्यर्थी मोटर कार की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने के योग्य हो)।</p> <p>(iii) मोटर कार चलाने का कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>(iv) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) होमगार्ड या सिविल स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा।</p> <p>टिप्पण 1: उम्मीदवार अन्यथा पूर्ण रूप से योग्य हो, के मामले में केन्द्र सरकार के विवेकाधिकार में योग्यता में छूट देय है।</p> <p>टिप्पण 2: यदि चयन के किसी चरण में केन्द्र सरकार की यह राय है कि आवश्यक अनुभव के उन समुदायों से उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव के संबन्ध में योग्यता में केन्द्र सरकार के विवेकाधिकार से छूट देय है।</p>	
--	--

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	<ol style="list-style-type: none"> 1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक – अध्यक्ष 2. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से एक मोटर गाड़ी निरीक्षक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक – सदस्य

1	2	3	4	5	6
39. रसोइया	7* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ग, गैर-अनुसूचित	वेतन बैंड-1 5200-20200 ` + ग्रेड वेतन 1900 `	लागू नहीं होता	<p>18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए यदि सामान्य उम्मीदवार हों, तो 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार हों, तो 45 वर्ष तक की छूट देय है)।</p> <p>टिप्पण :</p> <p>आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निम्नलिखित तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p>

7	8	9	10
---	---	---	----

<p>किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से खान-पान में डिप्लोमा सहित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के छात्रावास या कैटीन या अतिथि गृह में या पंजीकृत होटल में भारतीय खाना बनाने या यूरोपीय भोजन बनाने में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
--	----------------	---------	-------------------

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	<p>1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक – अध्यक्ष</p> <p>2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक – सदस्य</p> <p>3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उप निदेशक – सदस्य</p>

1	2	3	4	5	6
40. तकनीशियन	27* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ग, गैर-अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 ` + ग्रेड वेतन 1900 `	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>प्रोन्नति : ऐसे सहायक तकनीशियन में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी</p>	<p>1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष</p> <p>2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक – सदस्य</p> <p>3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन और लेखा) – सदस्य</p>	लागू नहीं होता

अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		
---	--	--

1	2	3	4	5	6
41. सहायक तकनीशियन	193* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ग, गैर-अनुसूचित	वेतन बैंड-1 5200-20200` + ग्रेड वेतन 1800`	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए यदि सामान्य उम्मीदवार हों, तो 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार हों, तो 45 वर्ष तक की छूट देय है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से औद्योगिक तकनीकी संस्थान प्रमाणपत्र। टिप्पण : उस सुसंगत क्षेत्र में जिसमें औद्योगिक तकनीकी संस्थान प्रमाणपत्र अपेक्षित है प्रत्येक रिक्ति की अधिसूचना के समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा। टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			
--	--	--	--

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एक उप निदेशक – सदस्य

1	2	3	4	5	6
42. बहुकार्य कर्मचारिवृंद	663* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-ग, गैर-अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800`	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण प्रमाणपत्र। टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक संयुक्त निदेशक – अध्यक्ष 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक – सदस्य 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एक उप निदेशक – सदस्य

सीताराम गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

(CENTRAL SILK BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2015

The Central Silk Board (Administrative, Accounts and General Cadre Posts) Recruitment Rules, 2015

G.S.R. 963 (E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948) and in supersession of the Central Silk Board (Consolidated) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the posts of Chief Accounts and Audit Officer, Deputy Secretary (Administration), Deputy Director (Publicity), Deputy Secretary (Costing), Assistant Director (Statistics), Accounts and Audit Officer, Assistant Secretary (Administration), Editor, Senior Librarian, Hindi Officer, Superintendent, Superintendent (Publicity), Senior Statistician, Statistician, Assistant Superintendent, Reporter, Assistant Superintendent (Publicity), Librarian, Senior Translator (Hindi), Assistant, Library Assistant, Stenographer, Publicity Assistant, Statistical Assistant, Junior Translator (Hindi), Senior Artist or Senior Photographer, Senior Mechanic, Bus or Truck Driver, Upper Division Clerk, Junior Stenographer, Artist or Photographer, Lower Division Clerk, Driver, Technician, Cook, Assistant Technician, Helper, Attender, Chowkidar, and Safaiwala, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Administrative, Accounts and General Cadre posts, in the Central Silk Board, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Silk Board (Administrative, Accounts and General Cadre Posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person, -

(i) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Joint Director (Administration).	2* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Ministerial.	Pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs. 7600.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation / absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	If a Selection Committee exists for direct recruitment, what is its composition.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: From among the Deputy Director (Administration and Accounts) with five years regular service in the grade .</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government, -</p>	<p>1. Member-Secretary, Central Silk Board Chairman;</p> <p>2. Joint Secretary or Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles Member;</p> <p>3. A Director from Central Silk Board Member;</p>	Not applicable.

			<p>(i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs. 6600 or equivalent</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	
--	--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7
2. Joint Director (Finance).	1* (2015)* Subject to variation dependent on work load.	Group A, Ministerial.	Pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.7600.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation	<p>Promotion: From among the Deputy Director (Finance) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher</p>	<p>1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman;</p> <p>2. Joint Secretary or Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member;</p> <p>3. A Director from Central Silk Board - Member.</p>	Not applicable.

		<p>grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government, - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs. 6600 or equivalent</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	
--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7
3. Joint Director (Publicity).	1 *(2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Non-Ministerial.	Pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.7600.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: From among the Deputy Director (Publicity) with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government, - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs. 6600/- or equivalent</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>1. Member-Secretary, Central Silk Board -Chairman;</p> <p>2. Joint Secretary or Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles -Member;</p> <p>3. A Director from Central Silk Board -Member;</p>	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
4. Joint Director (Enterprise Promotion Cell).	1* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Non-Ministerial.	Pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.7600.	Not applicable.	Not exceeding 50 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Master's Degree in Business Administration from a recognised University and possessing a minimum of ten years experience in Marketing or Textiles or Enterprise Development in a Central or State Government Department or Public Sector Undertaking or Autonomous Body. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	One year.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	1. Member-Secretary, Central Silk Board -Chairman 2. A Professor in the relevant subject from a recognised University -Member 3. Joint Secretary or Director or Deputy Secretary from the Ministry of Textiles -Member 4. One Professor in the relevant subject from Indian Institute of Management -Member

1	2	3	4	5	6	7
5. Deputy Director (Administration and Accounts).	10* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Ministerial.	Pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.6600.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: From among the Assistant Director (Administration and Accounts) with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Deputation: Officers of the Central Government, - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400/- or equivalent Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has</p>	<p>1. Member-Secretary, Central Silk Board -Chairman; 2. Joint Secretary or Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles -Member; 3. A Director from Central Silk Board -Member.</p>	Not applicable.

			been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay\ scale, and where this benefit will extend only for the post or post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
6. Deputy Director (Finance).	1* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Ministerial.	Pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.6600.	Not applicable.	Not exceeding 40 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Essential: Bachelor's degree from a recognised University having Associate Membership of the Institute of Chartered Accountants of India with a minimum of five years post qualification experience in Finance in Government Departments or Public Sector Undertakings or registered Companies in a higher position. Desirable: Possessing knowledge of computerised accounts. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	One year.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	1. Member-Secretary, -Chairman; Central Silk Board 2. A Deputy Accountant General from the Office of Accountant General -Member; 3. Director or Deputy Secretary, -Member; Ministry of Textiles 4. One Professor in the relevant subject from Indian Institute of Management or recognised University -Member

1	2	3	4	5	6	7
7. Deputy Director (Publicity).	1* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Non-Ministerial.	Pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.6600.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: From among the Assistant Director (Publicity) with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service or promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government, - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400/- or equivalent</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman; 2. Joint Secretary or Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles -Member; 3. A Director from Central Silk Board -Member. 	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
			<p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		

1	2	3	4	5	6	7
8. Deputy Director (Official Language).	2* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Non-Ministerial.	Pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.6600.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: From among the Assistant Director (Official Language) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central</p>	<p>1. Member-Secretary, Central Silk Board -Chairman;</p> <p>2. Joint Secretary or Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles -Member;</p> <p>3. A Director from Central Silk Board -Member.</p>	Not applicable.

			<p>Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government, - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400/- or equivalent</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	
--	--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7
9. Library and Information Officer.	1* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Non-Ministerial.	Pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.6600.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation	<p>Promotion: From among the Assistant Library and Information Officer with seven years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government, - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400/- or equivalent.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay</p>	<p>1. Member-Secretary, Central Silk Board</p> <p>2. Joint Secretary or Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles</p> <p>3. A Director from Central Silk Board</p> <p>-Chairman;</p> <p>-Member;</p> <p>Member.</p>	Not applicable.

			Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	
--	--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7
10. Deputy Director (Statistics)	1* (2015) * Subject to variation dependent on work load	Group A, Non-Ministerial	Pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.6600	Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation	<p>Promotion: From among the Assistant Director (Statistics) with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Deputation: Officers of the Central Government, - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400/- or equivalent Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>1. Member-Secretary, Central Silk Board 2. Joint Secretary or Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles 3. A Director from Central Silk Board</p> <p>-Chairman; -Member; -Member.</p>	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
			<p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		

1	2	3	4	5	6	7
11. Assistant Director (Administration and Accounts)	37* (2015) * Subject to variation dependent on work load	Group A, Ministerial	Pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400	Selection (Not applicable for direct recruits)	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Chartered Accountancy with Preliminary Examination-I from Institute of Chartered Accountants of India with one year experience in Finance or Masters degree in Commerce with five years experience in Accounts and Finance, in Government Departments or Public Sector Undertakings or registered Companies. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	Eighty per cent by promotion; and twenty per cent by direct recruitment	<p>Promotion: From among the Superintendents (Administration) with three years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>1. A Director from Central Silk Board -Chairman;</p> <p>2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board -Member;</p> <p>3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board - Member.</p>	<p>1. A Director from Central Silk Board - Chairman;</p> <p>2. Deputy Secretary or under Secretary Ministry of Textiles -Member;</p> <p>3. A Deputy Accountant General from the Office of Accountant General -Member.</p>

1	2	3	4	5	6	7
12. Assistant Director (Publicity).	2* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Non-Ministerial.	Pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By promotion.	<p>Promotion: From among the Superintendents (Publicity) with three years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have</p>	<p>1. A Director from Central Silk Board -Chairman;</p> <p>2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board -Member;</p> <p>3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board -Member.</p>	Not applicable.

			<p>already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7
13. Assistant Director (Official Language).	6* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Non-Ministerial.	Pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By promotion.	<p>Promotion: From among the Senior Translators (Hindi) with three years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>1. A Director from Central Silk Board -Chairman;</p> <p>2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board -Member;</p> <p>3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board -Member.</p>	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
14. Assistant Director (Statistics).	9* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Non-Ministerial.	Pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By promotion.	<p>Promotion: From among the Senior Statisticians with three years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>1. A Director from Central Silk Board -Chairman;</p> <p>2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board -Member;</p> <p>3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board -Member.</p>	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
15. Assistant Director (Sericulture Management).	1* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Non-Ministerial	Pay band-3, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs.5400	Not applicable	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	<p>Master's Degree in Managerial Economics or Agricultural Economics from a recognized University with five years experience in teaching in a recognised College or Institution.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>

					those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).
--	--	--	--	--	--

* This post stands phased out from the date the incumbent officiating against the post quits the post or service

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	One year.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	1. A Director from Central Silk Board -Chairman; 2. Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Textiles -Member; 3. One Professor in the relevant subject from Indian Institute of Management or recognised University -Member.

1	2	3	4	5	6	7
16. Hostel Manager.	1* * Subject to variation dependent on work load.	Group A, Non-Ministerial	Pay band-3, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs.5400.	Not applicable.	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Bachelor's Degree from a recognised University in Science or Arts or Commerce with a Post Graduate Diploma in Catering and Hotel Management with a minimum of three years experience in management of a registered Hotel or Hostel. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	One year.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	1. A Director from Central Silk Board -Chairman; 2. Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Textiles -Member; 3. A Deputy Director from outside Central Silk Board -Member.

1	2	3	4	5	6	7
17. Superintendent (Administration).	54* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4600.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By promotion	<p>Promotion: From among the Assistant Superintendents (Administration) and Stenographers Grade-I with five years regular service in the grade based on combined seniority and should have passed Supervisory level Departmental Examination conducted by the Board from time to time securing minimum forty per cent. marks (thirty five per cent. marks in case of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribe employees).</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	1. A Director from Central Silk Board -Chairman; 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board -Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
18. Superintendent (Publicity).	2* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non-Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4600.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	<p>Promotion: From among the Assistant Superintendents (Publicity) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>1. A Director from Central Silk Board -Chairman;</p> <p>2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board -Member;</p> <p>3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board -Member.</p>	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
19. Senior Translator (Hindi).	6* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non-Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4600.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By promotion	<p>Promotion: From among the Junior Translators (Hindi) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>1. A Director from Central Silk Board -Chairman;</p> <p>2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board -Member;</p> <p>3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board -Member.</p>	Not applicable.

	2	3	4	5	6	7
20. Assistant Library and Information Officer.	1* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non-Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4600.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By promotion	<p>Promotion: From among the Library and Information Assistants with five years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>1. A Director from Central Silk Board -Chairman;</p> <p>2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board -Member;</p> <p>3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board. -Member.</p>	Not applicable.

			<p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
21. Senior Statistician	1* (2015) * Subject to variation dependent on work load	Group B, Non-Ministerial	Pay band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4600	Non-selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By promotion	<p>Promotion: From among the Statisticians with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>1. A Director from Central Silk Board -Chairman; 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration & Accounts) from Central Silk Board -Member.</p>	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
22. Assistant Superintendent (Administration).	235* * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4200.	Non-selection for direct recruits).	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Bachelor's Degree from a recognised University and having five years' experience in Accounts or Administration in a Government Department, Public Sector Undertaking or registered Company. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	Seventy-five per cent. by promotion; and twenty-five	Promotion: From among the Upper Division Clerks with ten years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where	1. A Director -Chairman; from Central Silk Board 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Joint Director (Administration) -Member. or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board	1. A Director -Chairman; from Central Silk Board 2. A Joint Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Deputy Director from Central Silk Board -Member.

		there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	
--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7
23.Stenographer	33* * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Ministerial	Pay band-2 34800 plus grade pay of Rs.4200.	Non-selection for direct recruits).	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	(i) Bachelor's Degree from a recognised University and having five years experience in a Government Department or Public Sector Undertaking or registered Company. (ii) Skill Test Norms: Dictation: Ten minutes at the rate of hundred and twenty words per minute. Transcription (on Computer): Seventy five minutes (English) Ninety five minutes (Hindi) (iii) Skill Test shall be conducted only on Computer. Note: The particular language (that is English or Hindi) in which the skill test shall be conducted shall be specified each time a vacancy is notified. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	Seventy-five per cent. by promotion; and twenty-five	Promotion: From among the Stenographers Grade-II with ten years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2006 or the date from which	1. A Director -Chairman; from Central Silk Board 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration & Accounts) from Central Silk Board -Member.	1. A Director -Chairman; from Central Silk Board 2. A Joint Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Deputy Director from Central Silk Board

		the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	
--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
24. Assistant (Publicity).	1* * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Nono-Ministrial	Pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs.4200.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Essential: Bachelor's Degree from a recognised University in Journalism or Bachelor's Degree from a recognised University with Diploma in Journalism from a recognised Institute or University. Desirable: (i) Two years experience in writing of articles or publications or printing or proof reading or editing in a Government Department or public sector undertaking or Registered Company. (ii) Computer knowledge. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	1. A Director from Central Silk Board -Chairman; 2. A Joint Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Deputy Director from Central Silk Board -Member.

1	2	3	4	5	6	7
25. Junior Translator (Hindi).	10* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non-Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4200.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Master's Degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level; OR Master's Degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level; OR Master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level; OR Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; AND Diploma or Certificate course from a recognized Institute or University in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government Department or Public Sector Undertaking or Autonomous body. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	1. A Director from Central Silk Board -Chairman; 2. A Joint Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Deputy Director from Central Silk Board -Member.

1	2	3	4	5	6	7
26. Library and Information Assistant	5* * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non-Ministerial	Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs.4200.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Essential : (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute. (ii) Two years professional experience in a Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution. Desirable: Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	1. A Director from Central Silk Board -Chairman; 2. A Joint Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Deputy Director from Central Silk Board -Member.

1	2	3	4	5	6	7
27. Statistician.	5* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non-Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4200.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13	
Not applicable.	Two years.	By promotion.	<p>Promotion: From among the Statistical Assistants with six years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>1. A Director from Central Silk Board</p> <p>2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board</p> <p>3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board</p>	<p>-Chairman;</p> <p>-Member;</p> <p>-Member.</p>	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
28.*Senior Research Science).	1* * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non-Ministerial	Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs.4200.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Master's Degree in Social Science from a recognised University. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

* This post stands phased out from the date the incumbent officiating against the post quits the post or service

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	1. A Director from Central Silk Board -Chairman; 2. A Joint Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Deputy Director from Central Silk Board -Member.

1	2	3	4	5	6	7
29. Junior Engineer.	26* * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non-Ministerial	Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs.4200.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Three year Diploma from a recognised Institute in Mechanical or Electrical or Refrigeration or Sanitary Engineering. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	1. A Director from Central Silk Board -Chairman; 2. A Joint Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Deputy Director from Central Silk Board -Member.

1	2	3	4	5	6	7
30. Senior Artist.	4* * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non-Ministerial	Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs.4200.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).	Essential : Bachelor's Degree in Fine Arts in Applied or Commercial Arts from a recognised University (Minimum three year Course). Desirable: 1. Practical knowledge of publication designing softwares like Coral draw, Adobe Pagemaker, Photoshop, etc. 2. Knowledge of print and electronic media, computer aided designing, illustration and graphics, advertising and photography. 3. Three years experience in a registered publishing house or advertising agency in the areas of Commercial Designing, Graphic Designing, and Layout making. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	1. A Director from Central Silk Board -Chairman; 2. A Joint Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Deputy Director from Central Silk Board -Member.

1	2	3	4	5	6	7
31. Staff Car Driver (Special Grade).	11* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group B, Non-Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4200.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By promotion.	<p>Promotion: From among the Staff Car Drivers (Grade-I) with three years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>1. A Director from Central Silk Board</p> <p>2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board</p> <p>3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board</p> <p>Chairman;</p> <p>-Member.</p>	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
32. Statistical Assistant.	2*(2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non-Ministerial	Pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs.2800.	Not applicable.	<p>Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State,</p>	<p>Essential : Bachelor's Degree in Statistics from a recognized University.</p> <p>Desirable: Working knowledge in Computerised Statistical applications.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

					Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	---	--

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	1. A Joint Director from Central Silk Board -Chairman; 2. A Joint Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Deputy Director from Central Silk Board -Member.

1	2	3	4	5	6	7
33. Staff Car Driver (Grade-I).	88* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non-Ministerial.	Pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2800.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	<p>Promotion: From among the Staff Car Drivers (Grade-II) with six years regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade</p>	1. A Director from Central Silk Board -Chairman; 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board	Not applicable.

			with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
34. Upper Division Clerk.	234* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Ministerial.	Pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2400.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).	Bachelor's Degree from a recognised University, with a speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi Typewriting (thirty-five words per minute and thirty words per minute correspond to ten thousand five hundred key depressions per hour or nine thousand key depressions per hour on an average of five key depressions for each word). (Time allowed - Ten minutes). Note: (a) Typing test shall be conducted only on computer. (b) The particular language (that is English or Hindi) in which Typewriting test shall be conducted shall be specified each time a vacancy is notified. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	1. A Joint Director -Chairman; from Central Silk Board 2. A Joint Director from outside -Member; Central Silk Board 3. A Deputy Director -Member. from Central Silk Board

1	2	3	4	5	6	7
35. Stenographer (Grade-II)	21* * Subject to variation dependent on work load.	Group C,	Pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs.2400.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	(i) Bachelor's Degree from a recognized University. (ii) Skill Test Norms: Dictation: Ten minutes at the rate of eighty words per minute. Transcription (on Computer): Fifty minutes (English) Sixty-five minutes (Hindi). (iii) Skill Test shall be conducted only on Computer. Note: The particular language that is English or Hindi in which the skill test shall be conducted shall be specified each time a vacancy is notified. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	1. A Joint Director -Chairman; from Central Silk Board 2. A Joint Director from outside -Member; Central Silk Board 3. A Deputy Director -Member. from Central Silk Board

1	2	3	4	5	6	7
36. Staff Car Driver (Grade-II).	75* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non-Ministerial.	Pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2400.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	<p>Promotion: From among the Staff Car Drivers (Ordinary Grade) with nine years regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>1. A Director from Central Silk Board -Chairman;</p> <p>2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board -Member;</p> <p>3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board -Member.</p>	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
37. * Lower Division Clerk	68* * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non-Ministerial	Pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs.1900.	Not applicable.	<p>Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in</p>	<p>12th class pass from a recognised Board or University, with a speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi Typewriting (thirty-five words per minute and thirty words per minute correspond to ten thousand five hundred key depressions per hour or nine thousand key depressions per hour on an average of five key depressions for each word). (Time allowed - Ten minutes).</p> <p>Note: (a) Typing test shall be conducted only on computer. (b) The particular language that is English or Hindi in which Typewriting test shall be conducted shall be specified each time a vacancy is notified.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities</p>

					Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
--	--	--	--	--	---	--

* This cadre stands phased out from the date the incumbents officiating against the post are either promoted or otherwise quit the post or service and the resultant vacancies stand upgraded as Upper Division Clerk.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	1. A Joint Director -Chairman; from Central Silk Board 2. A Joint Director from outside -Member; Central Silk Board 3. A Deputy Director from Central Silk Board -Member.

1	2	3	4	5	6	7
38. Staff Car Driver (ordinary Grade)	46* * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non-Ministerial	Pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs.1900.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Essential : (i) Possessing a valid driving licence for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (the candidates should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; (iv) Pass in Tenth Standard from a recognized Board. Desirable: (i) Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	1. A Joint Director from Central Silk Board -Chairman; 2. A Motor Vehicle Inspector from Regional Transport Office -Member; 3. A Deputy Director from Central Silk Board -Member.

1	2	3	4	5	6	7
39. Cook.	7* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non-Ministerial.	Pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1900.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Diploma from a recognised Institute in Catering with three years experience in cooking of Indian or Continental Dishes in hostel or canteen or guest house of Central or State Governments or Public Sector undertaking or registered hotel. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	1. A Joint Director from Central Silk Board -Chairman; 2. A Joint Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Deputy Director from Central Silk Board -Member.

1	2	3	4	5	6	7
40. Technician.	27* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non-Ministerial.	Pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1900.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	<p>Promotion: From among the Assistant Technicians with three years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>1. A Director from Central Silk Board -Chairman;</p> <p>2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board -Member;</p> <p>3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from Central Silk Board -Member.</p>	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
41. Assistant Technician.	193* * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non-Ministerial	Pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs.1800.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	<p>Industrial Technical Institute Certificate from a recognised Institute.</p> <p>Note: The relevant field in which Industrial Technical Institute Certificate is required shall be specified each time a vacancy is notified.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely</p>

					<p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).</p>	to be available to fill up the vacancies reserved for them.
--	--	--	--	--	---	---

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	1. A Joint Director from Central Silk Board -Chairman; 2. A Joint Director from outside Central Silk Board -Member; 3. A Deputy Director from Central Silk Board -Member.

1	2	3	4	5	6	7
42. Multi-tasking Staff.	663* (2015) * Subject to variation dependent on work load.	Group C, Non-Ministerial.	Pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1800.	Not applicable.	Between 18 and 25 years. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Matriculation pass from a recognised Board or Industrial Training Institute pass Certificate from a recognised Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	1. A Joint Director -Chairman; from Central Silk Board 2. A Joint Director from outside -Member; Central Silk Board 3. A Deputy -Member. Director from Central Silk Board

[F. No.25012/9/2002-Silk]

SITARAM GUPTA, Under Secy.